ईश्वरलाल मोहनलाल ठक्कर

बनाम

पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील संख्या 4558 / 2014)

16 अप्रैल 2014

[न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा एवं न्यायमूर्ति गोपाल गौड़ा]

सेवा विधि : सेवा अभिलेख - जन्म तिथि - नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर जन्म तिथि बदलने के लिए आवेदन - प्रत्यर्थी - नियोक्ता ने आवेदन खारिज कर दिया और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया और इस प्रकार कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया - श्रम न्यायालय ने उक्त आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि नियोक्ता को स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए था क्योंकि स्कूल द्वारा अपीलार्थी के भाई को जारी किए गए प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलार्थी और उसके भाई के बीच केवल 5 महीने का अंतर था और अनधिसम्भाव्य और असंभव था। रिट याचिका अंतर्गत अनुच्छेद 227 - उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय का आदेश - अपील में खारिज कर दिया अभिनिर्धारित : प्रत्यर्थी - बोर्ड को स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और इसके बजाए नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर विश्वास किया जाना चाहिए था - उच्च न्यायालय ने गलत रूप से जन्मतिथि के मुद्दे को उठाने से विबन्धित कर दिया था क्योंकि उन्होंने 1978 में अभिलेख पर हस्ताक्षर किए थे किंतु इस मुद्दे को 1987

में उठाया है - यह प्रत्यर्थी द्वारा 1987 में जारी किए गए परिपत्र से भी स्पष्ट है कि जो कर्मचारी अभिलेख में अपनी जन्मतिथि बदलना चाहते थे, आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके ऐसा कर सकते हैं और इसके अलावा भी 50 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व ऐसा कर सकते हैं - अपीलार्थी ने अपनी जन्मतिथि की त्रुटि का मुद्दा उस समय उठाया जब उनकी उम्र 50 वर्ष नहीं थी - उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन और अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द करने में अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया - इसलिए उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को अपास्त किया जाता है और श्रम न्यायालय का पंचाट बहाल किया जाता है। - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 227

भारत का संविधान, 1950 : अनुच्छेद 227 - क्षेत्र - अभिनिर्धारित : उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है या साक्ष्य का पुनः विवेचन और अभिलेख पर विवादास्पद बिंदुओं पर अपने निष्कर्ष को नहीं रख सकता है - केवल विधि की कोई गंभीर त्रुटि या अभिलेख पर दिए गए निष्कर्ष में प्रत्यक्ष त्रुटि हो, उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर सकता है - सेवा विधि ।

साक्ष्य अधिनियम, 1872: धारा 35 - नगर निगम द्वारा जारी प्रमाण पत्र - साक्ष्यीय महत्व - अभिनिर्धारित : नगर निगम द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र उम्र का एक निश्चायक सबूत है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार सार्वजनिक अभिलेख में एक प्रविष्टि है - सेवा विधि

अपीलार्थी पूर्व में तत्कालीन भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड का कर्मचारी था, जिसे प्रत्यर्थी-बोर्ड ने अपने में अधिग्रहण कर लिया था और अपीलार्थी को 1978 में समझौते के अनुसार नए सिरे से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने अपनी

जन्मतिथि 27.6.1937 से 27.6.1940 बदलने के लिए वर्ष 1987 में एक आवेदन किया था, किंतु उसके अनुरोध की अस्वीकृति की सूचना मौखिक रूप से दी गई थी प्रत्यर्थी-बोर्ड के कार्यकारी अभियंता ने अपीलार्थी को एक पत्र लिखकर सबूत के रूप में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या नगर पालिका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अभाव में सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्म तिथि अंतिम होगी। अपीलार्थी के बड़े भाई ने एक आपराधिक आवेदन तैयार किया जिसमें यह प्रार्थना की गई की जन्म और तिथि रिकॉर्ड के रजिस्ट्रार को अपने अभिलेख पर अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.06.1940 दर्ज करने का निर्देश दिया जाए और एक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। जे एम एफ सी न्यायालय ने दिनांक 22.05.1987 के आदेश से भावनगर नगर निगम (बी एम सी) को अपीलार्थी का जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया।

भावनगर नगर निगम (बी एम सी) द्वारा जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसमें उसकी जन्मतिथि 27.6.1940 दर्शाई थी। अपीलार्थी ने 25.5.1987 को बीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी को अग्रेषित किया और 11.6.1987 को अपनी जन्मतिथि के संबंध में सेवा रिकॉर्ड में सुधार करने के लिए एक स्मरण पत्र भेजा । प्रत्यर्थी-बोर्ड के कार्यकारी अभियंता द्वारा उसे सूचित किया गया कि उसे सेवा अभिलेख में सुधार करने के आदेश के लिए अपना मूल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या एसएससी पास करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्युत बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 28.5.1989 द्वारा सभी कर्मचारियों को सूचित किया कि जन्म तिथि तय करने और उसमें सुधार करने के लिए केवल एसएससी या एचएससी के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को ही ध्यान में रखा जा सकता है । अपीलार्थी ने अपनी जन्मतिथि के संबंध में घोषणा के लिए एक सिविल वाद दायर किया जिसे खारिज कर दिया गया । अपील भी निरस्त कर दी गई । प्रत्यर्थी - बोर्ड ने 27.6.1997 को अपने अभिलेख में

जन्मतिथि के आधार पर अपीलार्थी की सेवाएं बर्खास्त कर दी और अपीलार्थी ने एक औद्योगिक विवाद किया । श्रम न्यायालय ने जांच करने के बाद निर्देश को स्वीकार किया और 31.7.2001 को एक पंचाट पारित किया जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी की गलत जन्म तिथि के आधार पर समय से पूर्व उसकी सेवा समाप्त करना गलत था और प्रत्यर्थी को पूर्ण वेतन देने का निर्देश दिया। त्रुटिपूर्ण तरीके से और समय पूर्व सेवा से बर्खास्त किए जाने की तारीख से लेकर उसकी वास्तविक सेवा निवृत्ति की तारीख तक सभी स्वीकार्य अनुषांगिक लाभ और इसके अलावा खर्चों के रूप में 1500 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया गया । प्रत्यर्थी ने अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जिसे स्वीकार किया गया । यह अपील उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी।

वर्तमान अपील में विचार के लिए यह प्रश्न उत्पन्न होंगे : ऐसी स्थिति में जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के बीच जन्म तिथि को लेकर कोई विवाद हो तब कौन सा दस्तावेज अभिभावी होगा; क्या उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निर्णय और पंचाट को रद्द करने का आदेश पारित करके सही किया था ?

न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया गया

: 1. श्रम न्यायालय ने अपना पंचाट और निर्णय पारित करते समय अभिलेख पर मौजूद सभी साक्ष्यों की जांच की और यह माना कि प्रदर्श 36 के अनुसार अपीलार्थी के भाई के लिए स्कूल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि 27.1. 1937 लिखी है । इसलिए यह असंभव है कि अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1937 होगी क्योंकि अंतर केवल 5 महीने का होगा, इसलिए यह स्पष्ट है कि जब दोनों भाइयों ने स्कूल में प्रवेश लिया, निदेशक / प्रिंसिपल ने अनजाने में जन्मतिथि

लिख दी जो न्यायालय के आदेश से प्रकट हुई और इसलिए न्यायालय के आदेश के अनुसार अपीलार्थी की स्कूल अभिलेख में जन्मतिथि को सही करके 27.6.1940 कर दिया गया। श्रम न्यायालय में आगे कहा कि न्यायालय के आदेश से पूर्व जब भी आवेदक को मौका मिला, उसने प्रत्यर्थी संस्था को एक आवेदन 18.4.1987 के पत्र द्वारा दिया और उसमें अनुरोध किया कि संलग्न दस्तावेजों के अनुसार उसकी जन्म तिथि को सही करें । भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड के स्टेटमेन्ट, उसका पहचान पत्र और एल० आई० सी० पॉलिसी की कॉपी जिसमें उसकी जन्म तिथि 27.6.1940 दर्शाई गई और सेवा अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज की गई । प्रत्यर्थी ने इसको स्वीकार नहीं किया और अपीलार्थी ने न्यायालय से दिनांक 22.5.1987 को एक आदेश प्राप्त किया जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1940 को जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन इस आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी ने ऐसे न्यायिक/अदालती साक्ष्य या सरकारी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने ना तो अपीलार्थी को यह सूचित करने की परवाह की और ना ही उन्होंने अपीलार्थी के दस्तावेजों को स्वीकार किया और न ही उसे अपने आवेदन की प्रतिरक्षा करने का कोई अवसर दिया और एक पक्षीय निर्णय देकर मनमाने ढंग से उसे सेवानिवृत्त कर दिया जो कि अवैध है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है । श्रम न्यायालय ने पाया कि अन्य कर्मचारियों के मामले में जन्मतिथि को शपथ पत्र के आधार पर सही किया गया था किंतु अपीलार्थी के मामले में न्यायालय के आदेश और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इस प्रकार आवेदक को सेवा से सेवानिवृत्त करने की प्रत्यर्थी की यह कार्यवाही अवैध और असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी । इसलिए अपीलार्थी का निर्देश स्वीकार कर लिया गया था और प्रत्यर्थी को आदेश दिया गया कि अपीलार्थी को उसकी जन्म तिथि के अनुसार सेवानिवृत होने की तारीख से उसकी

वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक सभी स्वीकार्य अनुषांगिक लाभों के साथ पूरा वेतन और 1500 रूपये मामले के खर्च का भुगतान करें (पैरा 8) (869 - जी-एच ; 870 -ए-एच)

2. श्रम न्यायालय का पंचाट और निर्णय तर्क संगत और अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित है । उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में श्रम न्यायालय के निष्कर्षों को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में त्रुटि की है । यह सुस्थापित विधि है कि उच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं कर सकता है या विवादास्पद बिंदुओं पर साक्ष्य और अभिलेख पर पुन: विवेचन कर अपने निष्कर्ष दे अगर विधि की कोई गंभीर त्रुटि है या अभिलेख पर दिए गए निष्कर्ष में प्रत्यक्ष त्रुटि प्रकट है । उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर सकता है। इस मामले में श्रम न्यायालय ने अपने मूल क्षेत्राधिकार का संतोषप्रद रूप से प्रयोग किया है और अभिलेख पर तथ्यों और विधिक साक्ष्य की उचित विवेचना की है और अपीलार्थी के पक्ष में विवादित बिंदुओं का सही उत्तर देते हुए तर्कसंगत आदेश दिया है । उच्च न्यायालय के पास इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि श्रम न्यायालय का पंचाट सुदृढ़ तर्क पर आधारित था जिसने न्याय के उद्देश्यों को पूरा किया है। (पैरा 9) (871-ए-डी)

शालिनी श्याम शेट्टी और अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एस सी सी 329: 2010 (8) एस सी आर 836 ; हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य भण्डारण निगम (2010) 3 एस सी सी 192: 2010 (1) एस सी आर 591; हिंज इंडिया प्राईवेट

लिमिटेड और अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य और अन्य (2012) 5 एस सी सी 443 : 2012 (3) एस सी आर 898 - विश्वास किया।

रीड बनाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर स्कॉटलैंड ***(1999) 1 ऑल ई आर 481 - संदर्भित किया।***

3. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्ध न्याय को गंभीर रूप से विफल करने के लिये श्रम न्यायालय के पंचाट में विवाद के बिन्दुओं पर दिये गये निष्कर्षों को रद्द करके गंभीर त्रुटि कारित की। प्रत्यर्थी ने जन्म प्रमाण-पत्र को उम्र के निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार करके अपीलार्थी के विरूद्ध न्याय का गंभीर हनन किया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अनुसार जन्म प्रमाण-पत्र जिसकी सार्वजनिक अभिलेख में प्रविष्टि है जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.06.1940 बतायी गयी है। इसलिये उसे इसका लाभ देने से इंकार करने का कोई कारण नहीं था। इसके बजाए प्रत्यर्थी-बोर्ड ने उसकी जन्मतिथि 27.6.1937 मानते हुए अपीलार्थी की सेवाओं को समय पूर्व समाप्त कर दिया जो अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत है । यह जन्म तिथि अत्यधिक अनधिसंभाव्य होने के साथ-साथ असंभव भी है क्योंकि अपीलार्थी के बड़े भाई का जन्म स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार 27.1.1937 को हुआ था और उसके बड़े भाई और उसके जन्म के मध्य केवल 5 महीने का अंतर नहीं हो सकता है । इसलिए यह प्रकट है कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर प्रत्यर्थी - बोर्ड द्वारा विश्वास नहीं किया जाना चाहिए था और इसके बजाए बी एम सी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है पर प्रत्यर्थी द्वारा विश्वास किया जाना चाहिए था। इसके अलावा एलआईसी बीमा पॉलिसी में जन्मतिथि 27.6.1940 बताई गई है जिसके आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी द्वारा जीवन बीमा निगम को

प्रीमियम का भुगतान किया गया था । इसलिए यह न्याय संगत और उचित है कि प्रत्यर्थी को जेएमएफसी द्वारा जारी आदेश से उत्पन्न विसंगतियों का सामना करते हुये बीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र पर विश्वास करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने त्रुटि पूर्ण तरीके से अभिनिर्धारित किया है कि अपीलार्थी को उसकी जन्म तिथि का मुद्दा उठाने से विबंधित कर दिया गया था क्योंकि उसने 1978 में अभिलेख पर हस्ताक्षर किए थे । उसने यह मुद्दा 1987 में उठाया था । इसका कारण स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के सामने 1987 में एक परिपत्र में सामने आया जिसमें कहा गया कि जो कर्मचारी अभिलेख में अपनी जन्मतिथि बदलवाना चाहते हैं, वे आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके ऐसा कर सकते हैं और इसके अलावा वे 50 वर्ष की आयु होने से पूर्व ऐसा कर सकते हैं। अपीलार्थी ने जिस समय अपनी जन्मतिथि में त्रुटि के संबंध में विवाद उठाया उस समय उसकी आयु 50 वर्ष पूर्ण नहीं थी। उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन और अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रम न्यायालय के निर्णय और पंचाट को रद्द करने में अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया। क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई त्रुटि नहीं की है या बिना पर्याप्त साक्ष्य के कोई निर्णय पारित नहीं किया है । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने योग्य हैं और श्रम न्यायालय के पंचाट और निर्णय बहाल किए जाने के योग्य हैं। [पैरा 10] [873-सी-एच; 874-ए-डी]

4. उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया है और श्रम न्यायालय का पंचाट बहाल किया गया है क्योंकि अपीलार्थी की सेवाएं उसकी जन्म तिथि 27.6.1940 के बजाए 27.6.1937 मानते हुए समय पूर्व अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति हो गई थी और इसलिए वह अपनी जन्मतिथि 27.6.1940 पर विचार करते हुए सेवा से बर्खास्तगी की तारीख से पूर्व अपनी सही अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक पूर्ण बकाया वेतन और अन्य अनुषांगिक मौद्रिक लाभों का हकदार है। पिछले वेतन की

गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर की जाएगी और इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के अंदर अपीलार्थी को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाना चाहिए। इसमें असफल रहने पर प्रत्यर्थी को ब्याज का भुगतान करना होगा । देय राशि पर, बकाया वेतन और अन्य परिणामी मौद्रिक लाभों के लिए श्रम न्यायालय के पंचाट की दिनांक से 12% वार्षिक दर से ब्याज भुगतान की तिथि तक देय होगा । [पैरा 11][874- ई-एच]

निर्णय विधि संदर्भ:

2010(8) एस सी आर 836	**भरोसा किया**	**पैरा 8**
2010(1) एस सी आर 591	**भरोसा किया**	**पैरा 10**
2012(3) एस सी आर 898	**भरोसा किया**	**पैरा 10**
(1999) 1 ऑल ई आर 481	**संदर्भित किया**	**पैरा 10**

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 4558 / 2014

गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा विशेष दीवानी प्रार्थना-पत्र संख्या-4168/2002 में दिये गये निर्णय और आदेश मे पारित दिनांक 19.04.2011 से

प्रवीन एच. पारेख, गलाऊ सी. शर्मा, विशाल प्रसाद, रितिका सेठी, क्षत्रशाल राज, हिमांजलि गौतम, पारेख एण्ड क० अपीलार्थी की ओर से।

हेमंतिका वाही प्रत्यर्थी की ओर से

न्यायालय का निर्णय -**न्यायमूर्ति वी.गोपाल गौड़ा**, द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा विशेष सिविल आवेदन संख्या 4168 / 2002 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.4.2011 के विरुद्ध दायर की गई है । जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत दायर याचिका को स्वीकार किया था। जिसमें प्रार्थना की गई थी कि संदर्भ (एल सी बी) संख्या 225 / 1998 में श्रम न्यायालय भावनगर द्वारा पारित 31.7.2001 के निर्णय और पंचाट को रद्द करने और उचित रिट जारी करने के निर्देश दिए जावें।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं

अपीलार्थी तत्कालीन कर्मचारी भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी लिमिटेड में था जिसे प्रत्यर्थी-बोर्ड ने अपने अधिग्रहण में ले लिया था और अपीलार्थी को 1978 में समझौते के अनुसार नए सिरे से नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने अपनी जन्मतिथि 27.06.1937 से 27.06.1940 परिवर्तित करने के लिए वर्ष 1987 में एक आवेदन दिया था लेकिन उन्हें मौखिक रूप में उनकी प्रार्थना को अस्वीकार करने की सूचना दी गई थी। प्रत्यर्थी - बोर्ड के कार्यकारी अभियंता ने अपीलार्थी को एक पत्र लिखकर सबूत के तौर पर स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या नगर पालिका जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और कहा कि आवश्यक दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के अभाव में, सेवा पुस्तिका में दर्ज जन्मतिथि अंतिम होगी । अपीलार्थी के बड़े भाई ने एक आपराधिक आवेदन संख्या 227/ 1987 दायर किया जिसमें प्रार्थना की गई की जन्म और तिथि रिकार्डस रजिस्ट्रार, भावनगर को अपने अभिलेख पर अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1940 दर्ज करने और जन्म प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्देश दिया जाए । जेएमएफसी की अदालत ने दिनांक 22.5.1987 के आदेश से भावनगर नगर निगम (बीएमसी) को अपीलार्थी को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इस आदेश की पालना में बीएमसी द्वारा एक जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया था जिसकी फोटो

प्रति प्रदर्श 52 के रूप में चिन्हित है । जिसमें उसकी जन्म तिथि 27.6.1940 दिखाई गई थी। अपीलार्थी ने 25.5.1987 को बीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्रत्यर्थी को अग्रेषित किया और अपनी जन्मतिथि के संबंध में सेवा अभिलेख में सुधार करने के लिए 11.6.1987 को एक स्मरण पत्र भेजा। प्रत्यर्थी-बोर्ड में कार्यकारी अभियंता द्वारा उसे सूचित किया गया कि सेवा अभिलेख में सुधार करने के लिए उसे अपना मूल स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या एसएससी पास करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिजली बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 28.5.1989 के द्वारा सभी कर्मचारियों की जन्म तिथि तय करने और सुधार करने के उद्देश्य के लिए सूचित किया। इसके लिए केवल एसएससी या एचएससी के स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र को ही ध्यान में रखा जा सकता है।

4. चूंकि उसकी जन्म तिथि सही नहीं की गई थी इसलिए अपीलार्थी ने अपनी जन्मतिथि के संबंध में घोषणा के लिए वर्ष 1997 में एक सिविल वाद दायर किया और अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उसने सिविल विविध अपील संख्या - 124 / 1997 सिविल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय भावनगर के समक्ष दायर की लेकिन यह निरस्त कर दी गई। प्रत्यर्थी-बोर्ड ने 27.6.1997 को अपने अभिलेख में दर्ज जन्म तिथि के अनुसरण में अपीलार्थी को सेवा से बर्खास्त कर दिया और अपीलार्थी ने सुलह अधिकारी के समक्ष एक औद्योगिक विवाद किया जिसे राज्य सरकार ने श्रम न्यायालय भावनगर में अधिनिर्णय के लिए (एलसीबी) 225 / 1998 में निर्दिष्ट किया था। श्रम न्यायालय ने जांच करने के बाद निर्देश को स्वीकार किया और 31.7.2001 को एक पंचाट पारित किया जिसमें कहा गया कि अपीलार्थी की सेवाओं को उसकी गलत जन्म तिथि के आधार पर समय से पहले समाप्त कर दिया गया है और प्रत्यर्थी को गलत तरीके से और समय से पहले बर्खास्त किए जाने की तारीख से उसकी वास्तविक सेवा निवृत्ति

की तारीख तक पूर्ण वेतन सभी स्वीकार्य अनुषांगिक लाभ देने का निर्देश दिया और इसके अलावा 1500 रूपये राशि, खर्च के रूप में भुगतान करने का भी आदेश दिया। प्रत्यर्थी ने गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष विशेष सिविल आवेदन संख्या 4168/2002 अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत एक याचिका दायर की जिसे स्वीकार किया गया और श्रम न्यायालय द्वारा संदर्भ (एल सी बी) संख्या 225/1998 में पारित पंचाट को रद्द कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपने मामले के समर्थन में विभिन्न तथ्यों और कानूनी तर्कों को लेते हुए वर्तमान सिविल अपील दायर की है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी. एच. पारीख ने तर्क दिया है की अपीलार्थी को वर्ष 1987 में ही प्रत्यर्थी के सेवा अभिलेख में उसकी गलत जन्मतिथि के बारे में पता चला । इससे पूर्व उसे अपनी गलत जन्मतिथि के अभिलेख के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इसलिए उसने तुरंत इसके सुधार के लिए प्रत्यर्थी को अभ्यावेदन दिया जिसे स्वीकार नहीं किया गया और इसलिए उसने औद्योगिक विवाद उठाया और श्रम न्यायालय ने अपना निष्कर्ष देने के बाद विवाद का न्यायनिर्णयन पंचाट दिया और यह धारित किया कि अपीलार्थी की ओर से अपनी जन्मतिथि को सही करने के लिए अपने नियोक्ता और सुलह अधिकारी से प्रार्थना करने में कोई देरी नहीं हुई थी । उसने युक्तियुक्त समय के अंदर प्रार्थना की थी। उनका यह तर्क है कि उसकी जन्म तिथि के संदर्भ में अपीलार्थी की दलील दस्तावेजी साक्ष्य जो कि बीएमसी द्वारा जारी किये गए जन्म प्रमाण-पत्र पर आधारित है। जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 52 है। इसके अलावा एलआईसी पॉलिसी प्रदर्श 42 जिसके लिए अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी द्वारा जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान किया गया था और उसे उसके मासिक वेतन से काट लिया गया था । उसकी जन्म तिथि

27.06.1940 बताई गई है। उसके स्कूल रिकॉर्ड में एक प्रत्यक्ष गलती थी और यह कहा गया कि अपीलार्थी ने बीएमसी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर इसे सुधारने के लिए प्राधिकारियों से प्रार्थना की और स्कूल अधिकारियों ने इसे ठीक कर दिया। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि बीएमसी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र विधिक रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है और अपीलार्थी को समय से पहले मनमाने ढंग से और अवैध रूप से बिना किसी सूचना के उसकी सेवाओं से अधिवार्षिकी सेवा निवृत कर दिया गया था । जबकि प्रत्यर्थी को अपीलार्थी की वास्तविक जन्म तिथि के बारे में पता था । वही अभिलेखों में परिलक्षित होता था जैसे कि, भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, बीएमसी द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र, अपीलार्थी के स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा जारी किया गया जन्म-तिथि प्रमाण पत्र, कर्मचारियों के स्टेटमेंट और उनके अधिग्रहण के समय प्रत्यर्थी को भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी द्वारा दिए गए सुसंगत विवरण, प्रत्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख में रखी गई गोपनीय रिपोर्ट और अंत में एलआईसी पॉलिसी जिसके द्वारा प्रीमियम का भुगतान किया गया था । आगे यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने यह न मानकर गलती की है कि प्रत्यर्थी ने अन्य कर्मचारियों को केवल एक शपथ पत्र पेश करके अपनी जन्मतिथि को सही करने की अनुमति देकर, जबकि उसके द्वारा जन्म तिथि को सही करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत किया, उसको सही करने से इनकार करके अपीलार्थी के साथ भेदभाव किया है और जेएमएफसी न्यायालय के आदेश के अनुसार बीएमसी द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र और सुधार के लिए उसे प्रस्तुत किए गए ऐसे अन्य दस्तावेज जो प्रत्यर्थी के अपने कर्मचारियों के अभिलेख का हिस्सा थे जो अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1940 साबित करते थे ना की 27.6.1937 ।

6. दूसरी ओर प्रत्यर्थी की विद्वान अधिवक्ता सुश्री हेमंतिका वाही का कहना है कि प्रत्यर्थी-बोर्ड ने वर्ष 1978 में तत्कालीन भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया था और तत्कालीन कंपनी के पास जो भी सेवा अभिलेख उपलब्ध था उसे प्रत्यर्थी-बोर्ड को स्थानांतरित कर दिया गया था और उक्त रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1937 थी। यह कहा गया कि अपीलार्थी ने सभी दस्तावेजों पर देखकर हस्ताक्षर किए और उसके लिए वर्ष 1978 में कथित गलत जन्म तिथि का तर्क ले सकता था और उक्त रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1937 थी । यह कहा गया की अपीलार्थी ने सभी दस्तावेजों पर देखकर हस्ताक्षर किए थे और उसके लिए वर्ष 1978 में कथित गलत जन्मतिथि का तर्क लेने का अवसर था लेकिन उसने वर्ष 1987 तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया । आगे कहा गया की गोपनीय रिपोर्टों पर उसके द्वारा हर साल हस्ताक्षर किए जाते थे और उनमें भी उसकी जन्म तिथि 27.6.1937 दर्शाई गई थी और अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका भी यही दर्शाती है । इन सभी साक्ष्यों ने उसे 27.6.1937 के अलावा किसी भी जन्म तिथि का दावा करने से विबन्धित कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह बिंदु लिया है कि श्रम न्यायालय ने केवल अनुमानों और कयासों के आधार पर और बिना कोई विस्तृत औचित्य या कारण बताए बीएमसी द्वारा अपीलार्थी को जारी किए गए जन्म प्रमाण पत्र 27.6.1940 की जन्म तिथि के साथ स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार यह प्रथम दृष्टया अवैध है और इसलिए इसमें दर्ज किए गए निष्कर्षों और कारणों को उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए सही ढंग से खारिज कर दिया गया है ।

7. हमनें विधिक विवाद पर दोनों पक्षों की ओर से दिये गये तर्कों को सुना। हमारे विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न होंगे :

(i) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के बीच जन्म तिथि को लेकर कोई विवाद है तो कौन सा दस्तावेज अभिभावी होगा ?

(ii) क्या उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निर्णय और पंचाट को रद्द करने का आदेश पारित करके सही किया था ?

(iii) कौन सा पंचाट?

8. हम सबसे पहले श्रम न्यायालय के पंचाट और निर्णय की जांच करेंगे। श्रम न्यायालय ने अपना पंचाट पारित करते समय इसके लिए ठोस कारण बताएं हैं । श्रम न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी साक्ष्यों की जांच की और धारित किया कि प्रदर्श 36 के अनुसार अपीलार्थी के भाई बटुक लाल मोहनलाल ठक्कर के लिए स्कूल द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र है जिसमें उनकी जन्म तिथि 27.1.1937 लिखी गई है और इसलिए, यह असंभव है की अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1937 होगी क्योंकि उससे केवल 5 महीने का अंतर होगा। और इसलिए यह स्पष्ट है कि जब दोनों भाइयों ने स्कूल में प्रवेश लिया निदेशक/ प्रिंसिपल ने अनजाने में जन्मतिथि लिख दी थी जो न्यायालय के आदेश से पता चला और इसलिए न्यायालय के आदेश के अनुसार अपीलार्थी के लिए स्कूल अभिलेख में जन्मतिथि को सही करके 27.6.1940 कर दिया गया था। श्रम न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय के आदेश से पहले जब भी आवेदक को मौका मिला उसने प्रत्यर्थी संस्था को दिनांक 18.4.1987 के पत्र के माध्यम से एक आवेदन किया और उसमें संलग्न दस्तावेजों के अनुसार उसकी जन्म तिथि को सही करने का अनुरोध किया जिसमें भावनगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का विवरण, उसका पहचान पत्र और एलआईसी पॉलिसी की प्रति, जिसमें उसकी जन्मतिथि 27.6.1940 दिखाई गई थी और सेवा अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज करने के लिए प्रत्यर्थी

ने इसे स्वीकार नहीं किया और अपीलार्थी ने 22.5.1987 को एक अदालती आदेश प्राप्त किया जिसमें अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1940 को जन्म और मृत्यु रजिस्टर में दर्ज करने का निर्देश दिया गया था लेकिन इस आदेश के बावजूद प्रत्यर्थी ने ऐसे न्यायिक न्यायालय साक्ष्य या सरकारी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया । उन्होंने ना तो अपीलार्थी को यह बताया कि उन्होंने दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया है और ना ही उन्हें अपने आवेदन का बचाव करने का कोई अवसर दिया और एक पक्षीय निर्णय लेकर मनमाने ढंग से उसे सेवानिवृत कर दिया जो कि अवैध और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है । तब श्रम न्यायालय ने पाया कि अन्य कर्मचारियों के मामले में जन्मतिथि को शपथ पत्रों के आधार पर सही किया गया था लेकिन अपीलार्थी के मामले में न्यायालय के आदेश और अन्य दस्तावेज पेश करने के बावजूद उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इस प्रकार प्रार्थी को सेवा से सेवानिवृत करने की प्रत्यर्थी की यह कार्यवाही अवैध और असंवैधानिक और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध थी। इसलिए अपीलार्थी का निर्देश स्वीकार कर लिया गया और प्रत्यर्थी को आदेश दिया गया कि वह अपीलार्थी को उसकी जन्म तिथि के अनुसार उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख से उसकी वास्तविक सेवानिवृत्ति की तारीख तक सभी स्वीकार्य अनुषांगिक लाभों के साथ पूर्ण वेतन और मामले के खर्चों के 1500 रुपए का भुगतान करें।

9. हम श्रम न्यायालय के फैसले और पंचाट को और अभिलेख पर मौजूद तथ्य और साक्ष्यों के आधार पर तर्क संगत पाते हैं। उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के निष्कर्षों को रद्द करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग करने में गलती की है। यह सुस्थापित विधि है कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग अपीलीय न्यायालय के रूप में नहीं कर सकता है या विवादास्पद बिंदुओं पर साक्ष्य की पुनः विवेचन अपने निष्कर्ष देने में और अभिलेख पर विधि में कोई गंभीर त्रुटि है या अभिलेख पर दिए गए

निष्कर्ष में प्रकट त्रुटि है तब उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को रद्द कर सकता है । वर्तमान मामले में श्रम न्यायालय ने अपने मूल क्षेत्राधिकार का संतोषजनक रूप से प्रयोग किया है और अभिलेख पर तथ्यों और विधिक साक्ष्य की उचित विवेचना की है और अपीलार्थी के पक्ष में विवादित बिंदुओं का सही उत्तर देते हुए तर्क संगत आदेश दिया है । उच्च न्यायालय के पास इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था क्योंकि श्रम न्यायालय का पंचाट सुदृढ़ तर्क पर आधारित था जिसने न्यायिक उद्देश्यों को पूरा किया है ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शालिनी श्याम शेट्टी और अन्य बनाम राजेंद्र शंकर पाटील के मामले में अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की सीमाओं के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए पैरा 49 में यह धारित किया गया था कि -

> "अनुच्छेद 227 के अंतर्गत हस्तक्षेप की शक्ति को न्यूनतम रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्याय का पहिया रुक ना जाए और न्याय का स्रोत शुद्ध और अप्रदूषित रहे ताकि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के कामकाज में जनता का विश्वास बना रहे।"

यह भी धारित किया गया कि -

> " उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायाधिकरणों या न्यायालय जो उससे निम्न है, के आदेशों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं न ही इस शक्ति का प्रयोग न्यायाधिकरणों या अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों पर अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य कर सकते हैं"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय को अपनी शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत न्यायपूर्ण ढंग से और न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए करना होगा।

हरजिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य भंडारण निगम के मामले में इस न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि -

> " 20.....उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने गंभीर क्षेत्राधिकारिता संबंधी त्रुटि की है और अनुचित रूप से हस्तक्षेप किया है। श्रम न्यायालय द्वारा पारित 87582 रुपए के मुआवजे और पुनः बहाली के पंचाट में अपीलार्थी को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 और विनियमों का उल्लंघन करके नियुक्त करने की पूरी तरह निराधार दलील पर विचार किया। "

10. उच्च न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का उल्लेख यहां यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के फैसले और आदेश को रद्द करने में गलती की है या नहीं । *हैंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम उ. प्र. राज्य और अन्य* के मामले में इस न्यायालय में रीड बनाम सैक्रेट्री ऑफ स्टेट फॉर स्कॉटलैण्ड के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति पर आधारित विधि का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया कि :-

> "न्यायिक पुनर्विलोकन में निर्णय की विधिक वैधता की चुनौती शामिल है। यह पुनर्विलोकन न्यायालय के मामले के सारभूत गुणों के बारे में अपना दृष्टिकोण बनाने के लिए साक्ष्य की जांच करने की अनुमति नहीं देती है। यह हो सकता है कि न्यायाधिकरण जिसके

निर्णय को चुनौती दी जा रही है उसने कुछ ऐसा किया है जिसे करने का उसके पास कोई विधिक प्राधिकार नहीं था। हो सकता है कि उसने अपने पास मौजूद अधिकार का दुरुपयोग किया हो या प्रक्रियाओं से हटकर किया हो या तो संविधि द्वारा या सामान्य कानून में निष्पक्षता के मामले में यह होना चाहिए । जहां तक निर्णयों का संबंध है यह विकृत या अतार्किक या आवश्यकता से बिल्कुल असंगत पाया जा सकता है या विधिक कमी के संबंध में निर्णय गलत पाया जा सकता है। उदाहरण के लिए साक्ष्य के अभाव के कारण या पर्याप्त सबूत के समर्थन में या अप्रासंगिक मामले पर ध्यान देने के माध्यम से या किसी प्रासंगिक मामले पर ध्यान देने में या किसी भी कारण से विफलता के माध्यम से या वैधानिक प्रावधानों की शर्तों के कुछ गलत निर्माण के माध्यम से जिसे निर्णय देने वालों को लागू करने की आवश्यकता होती है। हालांकि यह देखने के लिए साक्ष्यों का पता लगाना पड़ सकता है कि क्या निर्णय ऐसी कानूनी कर्मियों के कारण गलत हो गया है । यह पूर्ण रूप से स्पष्ट है कि पुनर्विलोकन के मामले में एक सामान्य अपील से भिन्न न्यायालय अपना पसंदीदा दृष्टिकोण साक्ष्य के बारे में निर्धारित नहीं कर सकती।"

इसलिए उपरोक्त निर्णयों के मद्देनजर हमें यह मानना होगा कि उच्च न्यायालय ने श्रम न्यायालय के पंचाट में विवाद के बिंदुओं पर दर्ज निष्कर्षों को रद्द करके गंभीर त्रुटि की है । अपीलार्थी के खिलाफ न्याय का गंभीर उल्लंघन किया गया है क्योंकि प्रत्यर्थी को जन्म प्रमाण पत्र को उम्र के निश्चायक सबूत के रूप में स्वीकार करना चाहिए था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अनुसार

सार्वजनिक अभिलेख में एक प्रविष्टि है और जन्म प्रमाण पत्र में अपीलार्थी की जन्म तिथि 27.6.1940 बताई गई है, जो दस्तावेजी साक्ष्य है इसलिए उसे इसका लाभ देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं था । इसके बजाय प्रत्यर्थी-बोर्ड ने उसकी जन्म तिथि 27.6.1937 मानकर अपीलार्थी की सेवाओं को समय से पूर्व समाप्त कर दिया जो अभिलेख पर मौजूद तथ्यों और साक्ष्यों के विपरीत है । यह जन्मतिथि अनधिसंभाव्य होने के साथ-साथ असंभव भी है क्योंकि अपीलार्थी के बड़े भाई का जन्म स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के अनुसार 27.1.1937 को हुआ था और उसके बड़े भाई और उसके जन्म के बीच केवल 5 महीने का अंतर नहीं हो सकता। इसलिए यह प्रकट है कि स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर प्रत्यर्थी-बोर्ड द्वारा विश्वास नहीं किया जा जाना चाहिए और उसके बजाए बीएमसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो कि दस्तावेजी साक्ष्य है पर प्रत्यर्थी द्वारा विश्वास किया जाना चाहिए था । इसके अलावा एलआईसी बीमा पॉलिसी में जन्मतिथि 27.6.1940 बताई गई है जिसके आधार पर अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थी द्वारा जीवन बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान किया गया था इसलिए यह न्याय संगत और उचित है कि प्रत्यर्थी को विश्वास करना चाहिए। इन सभी विसंगतियों के बावजूद बीएमसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जेएमएफसी के आदेश पर जारी किया गया था। उच्च न्यायालय ने गलत धारित किया कि अपीलार्थी को अपनी जन्मतिथि का तर्क लेने से विबंधित कर दिया था क्योंकि उसने 1978 में अभिलेख पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन उसने यह तर्क केवल 1987 में उठाया था। इसका कारण स्पष्ट है कि

प्रत्यर्थी के सामने 1987 में एक परिपत्र आया जिसमें कहा गया कि जो कर्मचारी अभिलेख में अपनी जन्मतिथि बदलवाना चाहते हैं वे आवश्यक जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर ऐसा सकते हैं और इसके अलावा वे 50 वर्ष की आयु होने से पूर्व ऐसा कर सकते हैं। अपीलार्थी ने जिस समय अपनी जन्मतिथि में त्रुटि के संबंध में विवाद उठाया उस समय उसकी आयु 50 वर्ष नहीं थी। उच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनर्विलोकन और अधीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए श्रम न्यायालय के निर्णय और पंचाट को रद्द करने में अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है। क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट है कि श्रम न्यायालय ने क्षेत्राधिकार के संबंध में कोई त्रुटि नहीं की है या पर्याप्त साक्ष्य के बिना कोई निर्णय पारित नहीं किया है। उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय और आदेश रद्द किए जाने योग्य है और श्रम न्यायालय का पंचाट और निर्णय बाहल किए जाने योग्य है

11.उपरोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए हम अपील को स्वीकार करते हैं । उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द करते हैं और श्रम न्यायालय के पंचाट को बहाल करते हैं क्योंकि अपीलार्थी की सेवाएं उसकी जन्म तिथि को ध्यान में रखते हुए समय से पहले अधिवार्षिकी सेवानिवृति 27.6.1940 के बजाय 27.6.1937 में कर दी गई थी और इसलिए वह अपनी जन्मतिथि 27.6.1940 पर विचार करते हुए सेवा बर्खास्तगी की तारीख से अपनी सही सेवानिवृति की तारीख तक पूर्ण वेतन और अन्य अनुषांगिक मौद्रिक लाभों का हकदार है । पिछले वेतन की गणना संशोधित वेतनमान के आधार पर की जाएगी और इस आदेश के प्रति प्राप्त होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से

भुगतान किया जाना चाहिए । इसमें असफल रहने पर प्रत्यर्थी को ब्याज का भुगतान करना होगा । श्रम न्यायालय के पंचाट की तारीख से भुगतान की तारीख तक बकाया वेतन और अन्य परिणामिक मौद्रिक लाभों के लिए देय राशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय होगा ।

अपील की अनुमति

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक राजवीर सिंह (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।